तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/3321/2006/धौलपुर बदन सिंह व अन्य बनाम भरत सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-10-19	**एकल पीठ** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** उपस्थित श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अभिभाषक प्रार्थी श्री ओ.पी.भटट अभिभाषक अप्रार्थी निर्णय यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी बाडी के आदेश दिनांक 8–5–2006 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अपने नोन स्पीकिंग आदेश के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना कोई आधार व तथ्य अंकित किये प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/3321/2006/धौलपुर बदन सिंह व अन्य बनाम भरत सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगराधीन आदेश को विधिसम्म्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि जो संशोधन दावे में प्रार्थी वादी द्वारा चाहा गया है वह इस स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता जिससे वाद की प्रकृति बदल जाती है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी को खारिज करने का कोई कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। उनके द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017(1)डी एन जे(राज.)पेज 270 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– Civil Procedure Code,1908-O.6R.17- Application filed to amend the petition-Trial court allowed the application without assigning any reason- Trial Court even not considered the arguments- Non speaking order passed -Held Order set aside and the Trial court is directed to pass a fresh order. 2008(2) डी एन जे(राज.) पेज 908,959, में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– Civil Procedure Code 1908-Sec.151-Application dismissed without considering the facts and law-Non speaking order- Order set aside	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टी ए/3321/2006/धौलपुर
बदन सिंह व अन्य बनाम भरत सिंह व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>and case remitted to the Tribunal to decide the application afresh by speaking order.

Civil Procedure Code 1908-O.26R.9&10-Suit for permanent injunction-Disobedience of order of temporary injunction -Application filed for inspection of the disputed property to prove the disobedience of order-Application rejected- No reasons assigned for rejecting the application - Non speaking order- Order set aside and trial court is directed to reconsider the application .

इसी प्रकार 2012(2) आर आर टी पेज 1023में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Code of Civil Procedure 1908-Order 8,Rule 1,10&Order 41Rule 23-Partition decree passed in absence of W.S. of defendant-Only affidavit evidence of the plaintiff- Trial Court not assigned any reason-High Court remanded the case for denovo trial-Trial Court not critically examined the case-Held High court has not committed any illegalilty.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी एवं उस पर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एक माह के अन्दर विस्तृत आदेश पारित करें।

उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 8-11-2019 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य</td><td></td></tr>
</table>